



भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
खान सुरक्षा महानिदेशालय
उत्तर पश्चिमी अंचल, उदयपुर



उत्तर-पश्चिमी अंचल, खान सुरक्षा महानिदेशालय, उदयपुर के अधीनस्थ उदयपुर क्षेत्र एवं अहमदाबाद क्षेत्र द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर

मंत्रालय से प्राप्त दिषा-निर्देशानुसार एवं खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा निर्गत पत्र सं० Z-10625/1/2014-MAMID/967-74 धनबाद दिनांक 15.05.2015 के संदर्भ में खान सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा शुरू किए गये नवीनतम सेवाओं जैसे 'श्रमेव जयते' कार्यक्रम के अंतर्गत "श्रम सुविधा" पोर्टल की शुरुआत एवं अन्य कामकाज के तरीके में सुधार एवं गति देने हेतु संदर्भित सेवाओं की जानकारी खानों के मालिक, प्रबंधक, सुपरवाइजर, कामगार एवं ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के जनजागृति कार्यक्रमों के आयोजन किये गये। उत्तर-पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आनेवाले सभी अंगों में निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उदयपुर क्षेत्र

1. चित्तौड़गढ़ जिले के आर.टी.सी. निम्बाहेडा में चूना पत्थर एवं मार्बल खदानों के श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए दिनांक 22.05.2015 को आयोजित जागरूकता शिविर ।
2. उदयपुर जिले के यू.सी.सी.आई. उदयपुर में सीसा जस्ता खदानों एवं मार्बल खदानों के श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए दिनांक 26.05.2015 (FN) को आयोजित जागरूकता शिविर
3. बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर प्रांगण में दिनांक 26.05.2015(AN) को मार्बल एवं ग्रेनाइट खदानों के श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर ।
4. राजसमन्द जिले में बडारड़ा स्थित एक होटल में दिनांक 27.05.2015 को मार्बल खदानों के श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर ।

इन सभी जगहों में लिए गये जनजागृति कार्यक्रमों में लगभग कुल 400 खदान मालिक, सुपरवाइजर एवं खान श्रमिकों जिसमें ठेकेदार श्रमिक भी सम्मिलित हैं, ने हिस्सा लिया।

अहमदाबाद क्षेत्र

1. बॉक्साइट एवं चूना-पत्थर खदानों के क्षेत्र में देवभूमि-द्वारका जिले के भाटिया प्रांत में दिनांक 21.05.2015 को श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर ।

2. कच्छ जिले के बॉक्साइट, चूना-पत्थर, बेंटोनाइट एवं चाईनाक्ले खदानों के लिए माता-नो-माध प्रांत में दिनांक 26.05.2015 को श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर ।
3. सौराष्ट्र एवं मध्य गुजरात में तेल, लिग्नाइट एवं चूना-पत्थर खदानों के लिए अहमदाबाद में दिनांक 28.05.2015 को श्रमिक, सुपरवाइजर एवं अधिकारियों के लिए आयोजित जागरूकता शिविर ।

इन सभी जगहों में लिए गये जनजागृति कार्यक्रमों में लगभग कुल 200 खदान मालिक, सुपरवाइजर एवं खान श्रमिकों, जिसमें ठेकेदार श्रमिक भी सम्मिलित हैं, ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रमों का उद्देश्य :

1. खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किये जा रहे कार्यों जैसे निरीक्षण, जांच, अनुमति एवं सुरक्षा उपायों, शर्तों एवं निर्देशों का खान के निचले वर्ग के कर्मचारियों तक इनकी जानकारी प्रदान की गई एवं प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।
2. निदेशालय के क्रियाकलापों के बारे में सूचित किया गया एवं संभावित कार्य जो इस निदेशालय द्वारा भविष्य में किये जाने हैं, उसका विवरण दिया गया।
3. कुशल एवं सुरक्षित उपायों द्वारा (विधि द्वारा) दिशा निर्देश की जानकारी खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा संबंधित मजदूरों को प्रदान करवाई गई एवं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन कराने हेतु निर्देश दिये गए।
4. किसी भी खनन कार्य के पूर्व खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त चैक-लिस्ट को सभी संबंधित मजदूरों को प्रदान किया गया एवं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन कराने हेतु प्रबंधन को निर्देश दिये गये।
5. रोजगार मंत्रालय द्वारा एक श्रम सुविधा नाम से पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसके अन्तर्गत निरीक्षण, जांच की जानकारी एवं प्रतिवेदन प्रेषित करना तथा उससे संबंधित जानकारी तत्पश्चात शिकायतों का निवारण हेतु एक महत्वपूर्ण आसान माध्यम जिसका लाभ सभी वर्ग के खान मालिक, तथा खनन से जुड़े सभी वर्ग उठा सकते हैं, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
6. इस प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार निरीक्षण एवं जांच सरल एवं पारदर्शी हो सकता है, उसके बारे में सभी वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
7. इसी क्रम में निरीक्षणों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही किस प्रकार हो सकती है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई।
8. खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा विभिन्न सेवाओं के जिनका नवीनीकरण जा रहा है एवं ई-गवर्नेंस के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

दैनिक नवज्योति

रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर निम्बाहेड़ा में श्रम सुविधा जागरूकता शिविर संपन्न श्रम सुविधा पोर्टल, ई-गवर्नेंस की जानकारी दी



श्रम सुविधा जागरूकता शिविर में जानकारी देते डायरेक्टर एवं उपस्थित अधिकारी।

न्यूज सर्विस/नवज्योति, निम्बाहेड़ा

रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर निम्बाहेड़ा में शुक्रवार सुबह खान सुरक्षा महानिदेशालय, उत्तर पश्चिमी अंचल, उदयपुर के तत्वावधान में एक दिवसीय श्रम सुविधा जागरूकता शिविर लगाया गया।

डायरेक्टर माईस सेफ्टी एस.एम. सुथार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से प्रायोजित ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल की विधिवत शुरुआत की गई।

इसके अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय, सेंट्रल लेबर कमिशन आर्गनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके साथ-साथ 16 श्रम कानूनों का समावेश किया है। शीघ्र ही राज्य सरकारों को भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रचलित कानूनों का एक ही पोर्टल पर समावेश कर इसकी पालना सुनिश्चित कराना और पारदर्शिता व जिम्मेदारी का निर्धारण स्पष्ट करना है। साथ ही लीगल कम्प्लेन च अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की पालना समय पर हो सके।

पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए ई-गवर्नेंस लागू होगा: खान सुरक्षा महानिदेशालय

द्वारा हाल ही में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी की परीक्षाओं, कोल माईस रेगुलेशन 1957 के प्रावधानों को ऑन लाइन कर दिया गया है। शीघ्र ही मेटलीफेरस माईस रेगुलेशन 1961 के प्रावधानों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किए जा रहे विभागीय कार्यक्रमों को पारदर्शिता व जवाबदेही बनाने तथा शीघ्र निवारण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू किया जा रहा है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय उत्तर पश्चिमी अंचल उदयपुर द्वारा क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग ऑफ टैनेस की कार्यशाला का आयोजन आरटीसी निम्बाहेड़ा में अगस्त 2014 में किया गया एवं स्किल डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत वायर शां ऑपरेटर्स एवं हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया।

इन्होंने लिया भाग: उक्त शिविर में चितीइगढ़ क्षेत्र के विभिन्न खदानों के वरिष्ठ अधिकारी, बिरला सीमेन्ट से एस.आर. शर्मा, विक्रम सीमेन्ट के एससी पारीक, वंडर सीमेन्ट के सी.पी. सोनी, आदित्य सीमेन्ट के एन.के.शर्मा, लॉफार्ज सीमेन्ट के कनक छगानी, बनेस्टी माईस सावा से के.आलम खान मय स्टाफ उपस्थित थे।

रविवार ■ 23 मई, 2015

चितीइगढ़, रविवार 23.05.2015

जागरूकता शिविर का आयोजन

निम्बाहेड़ा @ पत्रिका, जेके सीमेन्ट वर्क्स परिसर स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर में शुक्रवार को खान सुरक्षा महानिदेशालय, उदयपुर के तत्वावधान में एक दिवसीय श्रम सुविधा जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। शुरुआत में माईस सेफ्टी उदयपुर के क्षेत्रीय निदेशक एसएम सुथार का माईस हेडमहोम कच्छवाह तथा उप निदेशक खान सुरक्षा संजीव कुमार का स्वागत आरसी पुरोहित ने किया। यहां

अतिथियों ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 16 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से प्रायोजित ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसके तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय, सेंट्रल लेबर कमिशन आर्गनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं 16 श्रम कानूनों का समावेश किया गया। शीघ्र ही राज्यों को भी इसी पोर्टल

जाएगा। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रचलित कानूनों का एक ही पोर्टल पर समावेश कर इसकी पालना सुनिश्चित कराना, पारदर्शिता व जिम्मेदारी का निर्धारण करना है। विभागीय अधिकारियों के साथ बिरला सीमेन्ट से एसआर शर्मा, विक्रम सीमेन्ट से एससी पारीक, वण्डर सीमेन्ट से सीपी सोनी, आदित्य सीमेन्ट से एनके शर्मा, लॉफार्ज सीमेन्ट से कनक छगानी, बनेस्टी माईस सावा के आलम खान



श्रम सुविधा जागरूकता शिविर



यूसीसीआई में लगाए गए श्रम सुविधा जागरूकता शिविर में मंचासीन अतिथि।

उदयपुर, यूसीसीआई में खान सुरक्षा महानिदेशालय, उत्तर पश्चिमी अंचल की ओर से श्रम सुविधा जागरूकता शिविर लगाया गया। उप महानिदेश खान सुरक्षा बीपी आहुजा ने बताया कि शिविर में प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोजित ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय, चीफ लेबर कमिश्नर (सेन्ट्रल) ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके साथ-साथ 16 श्रम कानूनों का समावेश किया है। शीघ्र ही राज्य सरकारों को भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसका

उद्देश्य विभिन्न प्रचलित कानूनों का एक ही पोर्टल पर समावेश कर इसकी पालना सुनिश्चित करना और पारदर्शिता व जिम्मेदारी का निर्धारण स्पष्ट करना है। साथ ही लीगल कम्प्लेन व अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की पालना समय पर हो सके। शिविर में खान सुरक्षा से निदेशक ए.के. जैन, निदेशक-एस.एम. सुथार, उपनिदेशक पी.के. माहेश्वरी, उपनिदेशक एन. संजीव कुमार, वॉलकेम इंडिया लि. से अरविन्द सिंघल, अरावली मिनरल्स से मांगीलाल लुणावत, हिन्दुस्तान जिंक से कबीर घोष एवं उदयपुर क्षेत्र के विभिन्न खदानों के वरिष्ठ अधिकारी मय स्टाफ मौजूद थे।

दैनिक नवज्योति

28 मई 2015

यूसीसीआई में श्रम सुविधा जागरूकता शिविर केंद्रीय श्रम सुविधा पोर्टल से राज्य भी जुड़ेंगे

दूरी नवज्योति/उदयपुर

ई-गवर्नेंस योजना के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय, चीफ लेबर कमिश्नर (सेन्ट्रल) ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके साथ-साथ 16 श्रम कानूनों का समावेश किया गया है।

शीघ्र ही राज्य सरकारों को भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रचलित कानूनों का एक ही पोर्टल पर समावेश कर इसकी

पालना सुनिश्चित करना और पारदर्शिता व जिम्मेदारी का निर्धारण स्पष्ट करना है। खान सुरक्षा महानिदेशालय, उत्तर पश्चिमी अंचल, उदयपुर के तत्वावधान में यूसीसीआई में आयोजित श्रम सुविधा जागरूकता शिविर में बी.पी. आहुजा, उपमहानिदेशक खान सुरक्षा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा गत अक्टूबर को ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल की विधिवत शुरुआत की गई थी।

पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए ई-गवर्नेंस

खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा हाल ही में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की परीक्षाओं, कोल माईंस रेगुलेशन 1957 के प्रावधानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। शीघ्र ही मेटेलिफेरस माईंस रेगुलेशन 1961 के प्रावधानों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा किए जा रहे विभागीय कार्यक्रमों को पारदर्शी, जवाबदेह बनाने व समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू किया जा रहा है। ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए निदेशालय की ओर से ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की कार्यशाला का आयोजन आरटीसी निम्बाहेड़ा में गत वर्ष अगस्त में किया गया एवं स्किल डवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत वायर शॉ ऑपरेटर्स एवं हेवी मशीनरी ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स में किया गया। शिविर में खान सुरक्षा से निदेशक एके जैन, एसएम सुथार, उपनिदेशक पीके माहेश्वरी, एन. संजीव कुमार, वॉलकेम इंडिया के अरविन्द सिंघल, अरावली मिनरल्स से मांगीलाल लुणावत, हिन्दुस्तान जिंक से कबीर घोष एवं उदयपुर क्षेत्र के विभिन्न खदानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्रम सुविधा जागरूकता शिविर आयोजित

खान श्रमिकों एवं पट्टाधारियों ने लिया भाग

न्यूज सर्विस/नवज्योति, तलवाड़ा

त्रिपुरा सुदरी मंदिर प्रांगण में मंगलवार को खान सुरक्षा महानिदेशालय उत्तर पश्चिम अंचल उदयपुर के तत्वाधान में श्रम सुविधा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निदेशक खान सुरक्षा के एस एम सुथार ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से प्रायोजित ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल की विधिवत शुरूआत की गई। जिसके तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय, चीफ लेबर कमिश्नर, आर्गेनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके साथ 16 श्रम कानूनों का समावेश किया गया है। शीघ्र ही राज्य सरकारों को भी इसी पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न कानूनों का समावेश कर इसकी पालना सुनिश्चित करना और पारदर्शिता व जिम्मेदारी का निर्धारण स्पष्ट करना है। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं की पालना समय पर हो सके।

पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए ई-गवर्नेंस लागू होगा खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा हाल ही में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी की परिक्षाओं, कोल माईसं रेगुलेशन 1957 के प्रावधानों को ऑनलाइन कर दिया गया है। शीघ्र ही मेटेली फेरस माईस रेगुलेशन 1961 के प्रावधानों को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। विभाग के द्वारा किए जा रहे विभागीय कार्यक्रमों को पारदर्शिता व जवाबदेही बनाने तथा शीघ्र ही निवारण के लिए ई गवर्नेंस को लागू किया जा

रहा है। खान सुरक्षा महानिदेशालय उत्तर पश्चिम अंचल उदयपुर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को बढाया देने के लिए टेनिंग आफ ट्रेनर्स की कार्यशाला का आयोजन आरटीसी निम्बाहेड़ा में अगस्त 2014 में किया गया एवं स्क्रिल डवलमेंट कार्यक्रम के तहत वायर शा आपरेटर्स एवं हेवी मशीनरी आपरेटर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम उदयपुर चेम्बर ऑफ कामर्स में किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि खान सुरक्षा महानिदेशालय के निदेशक एम एस सुथार, उपनिदेशक पी के माहेश्वरी, ग्राम पंचायत उमराई के सरपंच लालाभाई डामोर, पालोदा माईस आनर्स के देवेन्द्र त्रिवेदी, आदित्य मारबल बालुभाई त्रिवेदी, वडर के आलोक सक्सेना, माही सीमेंट के विनोद जोशी, के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का अभिनंदन विश्वभर अग्रवाल, दिवु भाई, विवेक भंभानी, तरुण परिहार आदि ने किया।

श्रम कानून की पालना जरूर करें

■ खान सुरक्षा को लेकर उद्यमियों को दिया प्रशिक्षण

राजसमंद @ पत्रिका

patrika.com/city

खान सुरक्षा एवं श्रम कानून की सुरक्षा का हर मार्बल उद्यमी को सख्ती से पालना करनी होगी। किसी भी तरह से कानून की अवहेलना करने पर उद्यमी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त लायक नहीं है। श्रमिकों के हित को लेकर सरकार का रवैया सख्त है। साथ ही हर कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रहनी चाहिए, जवाबदेही व जिम्मेदारी के साथ खनन व प्रोडक्शन का कार्य किया जाए। कुछ इन्हीं बिन्दुओं पर बडारड़ा स्थित एक होटल में खान एवं सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में मार्बल उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया। उप महानिदेशक खान सुरक्षा बीपी आहुजा ने बताया कि ई-गवर्नेंस योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत खान सुरक्षा, श्रम,



बडारड़ा में खान विभाग की ओर से आयोजित श्रम सुविधा जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते अलिथि व उपस्थित व्यवसाई।

पत्रिका

ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ 16 श्रम कानूनों का समावेश किया है। शीघ्र ही राज्य सरकार भी इसी पोर्टल से जुड़ जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रचलित कानूनों का एक ही पोर्टल पर समावेश सुनिश्चित

करना कर पारदर्शिता रखना है। उन्होंने कानूनी फैसलों व नियमों की पूर्ण पालना का मार्बल उद्यमियों से आह्वान किया। इस दौरान खान सुरक्षा से एके जैन निदेशक, एसएम सुथार, निदेशक पीके माहेश्वरी, उपनिदेशक एन.संजीव कुमार, वॉलकेम इंडिया



लि. से अरविन्द सिंघल, मार्बल माईन्स ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष तनसुख बोहरा के साथ कई मार्बल उद्यमी थे।







મઠ લિગ્નાઈટ ખાણમાં શ્રમ સુવિધા અંગે અપાયું માર્ગદર્શન

**ડાયરેક્ટર ઓફ માઈન્સ-
અમદાવાદ દ્વારા કરાયું
આયોજન**

ભાસ્કર ન્યૂઝ, દયાપર

લખપત તાલુકાના માતાના મઠ લિગ્નાઈટ ખાણ ખાતે ડાયરેક્ટર ઓફ માઈન્સ-અમદાવાદ દ્વારા શ્રમ સુવિધા અંગે માર્ગદર્શન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ- જીએમડીસી સંચાલિત માતાના મઠ લિગ્નાઈટ ખાણ ખાતે જુદી-જુદી ખાનગી કંપનીઓના અધિકારીઓએ શ્રમ સુવિધા કેમ્પ અંતર્ગત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

આ શિબિરમાં ઉપસ્થિત નિરંજન શર્માએ કચ્છમાં લિગ્નાઈટ, લાઈમ સ્ટોન, બોક્સાઈટ, ક્લે માઈન્સના ઉપસ્થિત અધિકારીઓને દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા ઉદઘાટિત કેન્દ્રીય

શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલી ઓનલાઈન વેબપોર્ટલની

જાણકારી સાથે તેના 4 વિવિધ વિભાગને સમજ અપાઈ હતી.

ભાટિયામાં શ્રમ-સુવિધા જાગૃતિ અભિયાન

ભાટિયા તા. ૧૬ : ભાટિયામાં ગ્રુપ ઓફ માઈન્સ કમિટિ દ્વારા મે-૨૦૧૫નો શ્રમ-સુવિધા અભિયાન કેમ્પ યોજાયો હતો. જેમાં ભાટિયા પંચકની તમામ કંપનીઓના માઈન્સ મેનેજરો ને સુપરવાઈઝરો હાજર રહ્યાં હતાં. કેમ્પનું દીપ પ્રાગટ્ય અમદાવાદના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ માઈન્સ સેક્ટરી જનરલ નિરંજન શર્માના હસ્તે થયું હતું. તેમણે તથા ડે. ડાયરેક્ટર ડી.એસ. સાલવીએ વક્તવ્યો આપીને શ્રમ-સુવિધા જાગૃતિ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. કેમ્પને સફળ બનાવવા ભાટિયા ગ્રુપ ઓફ બોક્સાઈટ માઈન્સના ડી.કે. વ્યાસ, કે.કે. ચૌધરી, એસ.કે. ઉપાધ્યાય, એસ.કે. કૌશિક, જી. રોય, મનોજકુમાર, એસ.એસ. મહાનડા, સુનલ પટેલ, તુષારભાઈ પંડયા વિગેરેએ જહેમત ઉઠાવી હતી.

29/05/2015



કચ્છમિત્ર



માતાના મઠ લિગ્નાઈટ ખાણ (જી.એમ.ડી.સી.) ખાતે કેમ્પમાં શ્રમ સુવિધા અંગે શ્રમિકોને માહિતી આપતા મંચસ્થ અગ્રણીઓ તસવીરમાં નજરે પડે છે.

ખાણ શ્રમિકોને શ્રમ સુવિધા પોર્ટલ સહિતની જાણકારી અપાઈ

દયાપર (તા. લખપત), તા. ૨૮ : કચ્છની વિવિધ ખનિજ ખાણોના શ્રમિકોમાં જાગૃતિ આવે તે અર્થે માતાના મઠ લિગ્નાઈટ ખાણમાં શ્રમ સુવિધા જાગૃતિ શિબિર યોજાઈ હતી જેમાં કચ્છની વિવિધ ખાણોના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.

નિરંજન શર્મા (ડાયરેક્ટર ઓફ માઇન્સ સેફ્ટી, અમદાવાદ ક્ષેત્ર, ડી.જી.એમ.એસ.) રહ્યા હતા. આ કેમ્પમાં કચ્છ વિસ્તારમાં આવેલી ખાણો જેવી કે લિગ્નાઈટ, લાઇમસ્ટોન, બોક્સાઇટ, ક્લે માઇન્સના ટોટલ ૪૨ અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ બહોળા પ્રમાણમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટિત કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરાયેલું ઓનલાઇન વેબ પોર્ટલ (શ્રમ સુવિધા પોર્ટલ)ની જાણકારી અપાઈ હતી તથા ઓનલાઇન વેબ પોર્ટલની ચાર અલગ અલગ વિભાગોને લગતા રીટર્ન્સ તથા એલ.આઇ.એન. નંબર વિશે માહિતગાર કરાયા હતા. આ સાથે કોમ્પ્યુટર સંકલિત

ઇન્સ્પેક્શનનું પણ જ્ઞાન પ્રદાન કરાયું હતું.

આ અવસરે શ્રી શર્મા દ્વારા

માતાના મઠ લિગ્નાઈટ ખાણ ખાતે શ્રમ સુવિધા જાગૃક્તા કેમ્પ યોજાયો

ખાણની વ્યવસ્થા માટેની જાણકારી અપાઈ હતી. માતાના મઠ લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટના જનરલ મેનેજર એચ. કે. જોષીએ શ્રમિકોમાં વધુ જાગૃતિ ફેલાશે તેવા વક્તવ્ય સાથે આભારવિધિ કરી હતી.